Provision of Reservation for SCs and BCs

170. Shri Dharam Pal Gonder, M.L.A.: Will the Welfare of SCs and BCs Minister be pleased to state-

(a) whether there is any provision of reservation for Scheduled Castes and Backward Classes in the appointment of employees on outsourcing policy in the State; if so, the details thereof; and

(b) if not, the time by which the said provision is likely to be implemented in State?

Dr. Banwari Lal, Minister, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department.

Sir,

a Statement is laid on the Table of the House.

DR. BANWARI LAL, MINISTER, WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES DEPARTMENT.

Reply:-

(a) whether there is any provision of reservation for Scheduled Castes and Backward Classes in the appointment of employees on outsourcing policy in the State; if so, the details thereof; and

The Chief Secretary to Govt. Haryana, General Administration has issued instructions on 06.04.2015 vide no. 16/7/2015-1GSII wherein a policy has framed for engaging/outsourcing/activities. These instructions has been reviewed from time to time vide letter no. 22/104/2014-1GSIII dated 27.10.2017 and 12.03.2018 regarding grant of reservation while engaging contractual employees under part-I and part-II to all the Govt. departments and public undertaking.

(b) if not, the time by which the said provision is likely to be implemented in State?

These instructions of outsourcing policy part I & II are being implemented by the all Government Departments/Public Sector Undertaking/Universities while engaging contractual employees.

******

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान

170. श्री धर्म पाल गौंदर, एम.एल.ए.: क्या अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि–

(क) क्या राज्य में आऊटसोर्सिंग नीति पर कर्मचारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो राज्य में उक्त प्रावधान के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

डॉ0 बनवारी लाल, अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, मंत्री

श्रीमान जी,

उत्तर का विवरण विधान सभा के पटल पर रखा है।

डॉ0 बनवारी लाल, अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, मंत्री

उत्तरः–

(क) क्या राज्य में आऊटसोर्सिंग नीति पर कर्मचारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; तथा

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा हिदायतें पत्र क्रमांक 16/7/2015–1जी0एस0II दिनांक 06.04.2015 के माध्यम से एक आऊटसोर्सिंग पॉलिसी तैयार की गई है। इस आऊटसोर्सिंग पॉलिसी की निरन्तरता में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के द्वारा हिदायतें पत्र क्रमांक 22/104/2014–1जी0एस0III दिनांक 27.10.2017 तथा 12.03.2018 के द्वारा समय–2 पर रिव्यू किया गया है। जिसमें आऊटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट–I व II के अन्तर्गत अनुबंध के आधार पर की जाने वाली भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

(ख) यदि नहीं, तो राज्य में उक्त प्रावधान के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

उपरोक्त आऊटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट–I व II के अन्तर्गत भर्तियों के समय सभी विभागों/सार्वजनिक उपकर्मों/विश्वविद्यालयों के द्वारा आरक्षण के प्रावधान की परिपालना की जाती है।

******